

विधानसभा प्रश्न 3004 (तारांकित)

प्रश्नांश (ख) एवं (ग) की जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	शिकायत का विवरण	प्राप्त शिकायत में की गई जांच एवं निष्कर्ष	दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम
01	श्री भेरूसिंह यादव निवासी नरवल	प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में 12 नम्बर पर नाम होने के बावजूद भी मकान की राशि नहीं मिलने बाबत।	जांच अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार पाया गया कि ग्राम नरवल के हितग्राही श्री भेरूसिंह पिता देविसिंह के स्थान पर ग्राम के अन्य श्री भेरूसिंह पिता पुराजी का जीयोटेग कर राशि रूपए 105000/- रु का अवैध भुगतान करवाया गया। जिसमें राशि वसूली की जाकर श्री जोतसिंह रोजगार सहायक ग्राम पंचायत नरवल की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आगर को अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया व संबंधित हितग्राही को राशि का भुगतान करवा दिया गया है।	श्री जोतसिंह रोजगार सहायक ग्राम पंचायत नरवल
02	श्रीमति भाकुन्तलाबाई पति हरिनारायण यादव उपाध्यक्ष ज.पं. आगर	ग्राम पंचायत पांचारुण्डी में प्रधानमंत्री आवास में अनियमितता होने बाबत।	जांच अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार पाया गया कि हितग्राही श्री हीरालाल पिता घीस्सा के नाम पर अन्य के आवास के फोटो जीयोटेग किये गये हैं। जिससे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत आगर-मालवा द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5578 दिनांक 15.12.2022 से श्री सुन्दरलाल यादव सचिव ग्राम पंचायत पांचारुण्डी को वित्तीय अनियमितता करने पर 105000/- रु की वसूली प्रस्तावित करते हुये निलम्बित किया गया है।	श्री सुन्दरलाल यादव सचिव ग्राम पंचायत पांचारुण्डी
03	श्री हुखमसिंह निवासी अरनिया (राजाखेडी)	ग्राम पंचायत राजाखेडी में बिना आवास निर्माण के 3 किशतों की राशि जारी करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है।	जांच अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत श्री भांकरलाल पिता हरिसिंह को बिना आवास निर्माण के 03 कि तों की राशि 105000/- रु. जारी होना पाया गया जिसकी राशि 40000/- रु. वसूली की जाकर श्री मनोहर मेघवाल रोजगार सहायक ग्राम पंचायत राजाखेडी की सेवा समाप्त की जा कर भोश राशि 65000/- की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।	श्री मनोहर मेघवाल रोजगार सहायक ग्राम पंचायत राजाखेडी
04	श्री गोवर्धन पिता स्व. गंगाराम ग्राम पंचायत पिपल्याघाटा	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास के तृतीय जियोटेग नहीं करने के संबंध में।	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास के तृतीय जियोटेग करने हेतु हितग्राही श्री गोवर्धन पिता स्व. गंगाराम ग्राम पंचायत पिपल्याघाटा से राशि की मांग करने पर लोकायुक्त उज्जैन के द्वारा ट्रैप की कार्यवाही करने पर श्री हेमराज मेवाडा रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पिपल्याघाटा की संविदा सेवा समाप्त की गई।	श्री हेमराज मेवाडा रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पिपल्याघाटा
05	सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत गुराडिया बड़ौद	प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास के अन्यत्र स्थान पर जीयोटेग के संबंध में।	जांच अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार पाया गया कि हितग्राहीयो के आवास निर्माण हेतु द्वितीय एवं तृतीय जीयोटेग अन्य ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि का करने पर श्री मदनलाल मालवीय रोजगार सहायक ग्राम पंचायत लोधाखेडी की संविदा सेवा समाप्त की गई।	श्री मदनलाल मालवीय रोजगार सहायक ग्राम पंचायत लोधाखेडी
06	श्री बालू पिता श्री नग्गा, ग्राम पंचायत मंगवालिया	तहसील बड़ौद की ग्राम पंचायत मंगवालिया के ग्राम अक्या में पात्र हरिजन को आवास सूची में 10 नम्बर में आवास आईडी में हितग्राही बालू पिता श्री नग्गा जी को आवास स्वीकृत होने के संबंध में।	विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 284 दिनांक 10.01.2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आगर मालवा से शिकायत में दर्शाये गये बिन्दुओं की जांच कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त।	-


 Joint Commissioner
 Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin
 Development Commissioner Office